नाम न्यायालय

केस संख्या 86/11 प्रा०प्रज० ए०

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14.6.17	पत्रावली कोम्प कोई दूसरा पर पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० अपा० से. ① व ⑧ ल० ⑪ की तरफ से श्री सीताराम सैनी व अरुणलाल जाट उप० अपा० ⑬ ⑭ की तरफ से देवेन्द्र सरमा उप० अन्य अपाद्यीगण को प्रर्व के ही तामील हो चुकी है। प्रा०प्रज० स्थाई निषेधाज्ञा का मिस्लाए निर्धारित अवधि में किया जाना होता है। प्रा०प्रज० ए० पर वकील प्रार्थी व अपार्थी ① व ⑧ ल० ⑪ की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीया ने प्रा०प्रज० ए० में वर्णित वाद्गत अर्थि को पैतृक सम्पति बताकर स्व० पिता किशोर के नाम दर्ज अर्थि में से हक व अधिकारो की घोषणा चाही है। जबा० से. 129 से प्रत्यक्ष हो रहा जाहिर है कि वाद्गस्त अर्थि किशोर पुत्र छिगना के नाम दर्ज है। प्रार्थीया गोगाडेवी स्व० किशोर पुत्र छिगना की पुत्री है। इसलिए प्रार्थीया का प्रा०प्रज० ए० अंतिम स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीया का प्रा०प्रज० स्थाई निषेधाज्ञा अंतिम इस आशय का स्वीकार किया जाता है वाद्गस्त अर्थि में इल खातेदार अपार्थी सं. ① नारायण पुत्र भंवरा के नाम दर्ज खाते की अर्थि जो किशोर पुत्र छिगना से प्राप्त हुई है की हद तक इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.9.17 को इलवाड के मिस्लाए तक कायम किया जाता है। प्रार्थीया का शेष अनुतोष खारिज किया जाता है। पत्रावली जिसल झुमार शोकट दर्ज नम्बर से कम है।	NV

14/6/17

उपखण्ड अधिकारी
जावी (प्रतापगढ़)